न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :— 07 / 2024

गोपालकृष्ण पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी रायती तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ
विपक्षी

उपस्थित :— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक :— 11.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा रायती प.ह. रायती तहसील बेगूँ में प्रार्थी की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
61	285	0.1130

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
59	1026	0.1700
	103	0.2910
	1105	0.0080
	284	0.2750
	355	0.0890
	356	0.0490
	403	0.0160
	404	0.0240
	419	0.0240
	420	0.0570
	506	0.1210
	589	0.0810
	595	0.0400
	677	0.0490
	730	0.0080
	775	0.0080
	कीता—16 कुलरकबा	1.3100 हैक्टर

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
58	1551 / 616	0.0970
खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
60	1219	0.1940

यह कि प्रार्थी गोपालकृष्ण पुत्र चुन्नीलाल सा.देह खातेदार निवासी रायती के नाम से मौजा गुलाना प.ह. गोविन्दपुरा में कृषि आराजीयात स्थित है जिसके संवत 2078 की खाता संख्या 68, 69, 70 में प्रार्थी का नाम गोपालकृष्ण पिता चुन्नीलाल धाकड अंकित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजयीात में राजस्व कर्मचारियो की गलती एवं सहवन से लिपीकीय त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम चुन्नीलाल के बजाय सीताराम अंकित कर दिया है जो एक सद्भाविक भूल होकर अंकित हुआ है। जबकि प्रार्थी के नाम से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, जनाधारकार्ड,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, भामाशाह कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोपालकृष्ण पिता चुन्नीलाल धाकड अंकित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजीयात में प्रार्थी अपने निहित हक हिस्से पर पैत्रिक रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के नामान्तरण खोलते समय सहवन एवं भूलवश राजस्व ऑनलाईन के नामान्तरण में प्रार्थी के पिता का नाम चुन्नीलाल के बजाय सीताराम अंकित कर दिया है जिससे प्रार्थी को अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। एवं सरकार योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।

यह कि मुझ प्रार्थी ने दिनांक 25.09.2023 को राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि मुझ प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में चुन्नीलाल के बजाय गलती से सीताराम अंकित कर दिया है जिसको जरिये शुद्धिकरण के नाम दुरूस्त करवाये जाने के लिए हल्का पटवारी रायती से निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी जी ने न्यायालय आदेश लाने की कहने पर यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धिकरण किये जाने हेतु आप न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 रा.ले.एक्ट का होकर बावत प्रार्थी के पिता का नाम में शुद्धिकरण का होने से एवं अन्य सहखातेदार राजस्व जमाबंदी में नाम अंकित होने एवं इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहने के कारण सहखातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रृवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान में पेश है।

यह कि विपक्षी श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार वेगूँ लैण्डहोल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित मौजा रायती प.ह. रायती तहसील वेगूँ की संवत 2078 की खाता संख्या 61, 59, 58, 60 में वर्णित पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम सीताराम धाकड के बजाय जरिये शुद्धिकरण के '' चुन्नीलाल धाकड'' अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी भूमिधारी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार वेगूँ उपस्थित आए तथा इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार से किया कि कलम नं. 1 प्रार्थी राजस्व रेकार्ड से कलम संख्या 1 को स्वयं प्रमाणित करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2 का जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में खातेदार चुन्नीलाल पिता सीताराम धाकड निवासी रायती द्वारा अपने पुत्र गोपालकृष्ण के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर नामा.सं. 1133 दर्ज करते समय सहवन से पिता चुन्नीलाल के बजाय सीताराम दर्ज कर दिया गया जो राजस्व रेकार्ड में आदिनांक तक यथावत चला आ रहा है। सरकार दस्तावेजी में प्रार्थी के पिता का नाम गोपालकृष्ण पिता चुन्नीलाल होना वादी स्वयं सिद्ध करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार से है कि कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात पर काबिज होना प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। यह सही है कि वसीयत के आधार पर नामा.सं. 1133 दर्ज करते समय सहवन से पिता चुन्नीलाल के बजाय सीताराम दर्ज कर दिया गया । यह कि अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि कालम नं0 4 में अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5, 6, 7 कानूनी होने से जवाव की आवश्यकता नहीं है ।

प्रकरण में विपक्षी भूमिधारी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त उभयपक्ष की वहस प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी वहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के पिता नाम चुन्नीलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है, जबकि भूमिधारी द्वारा उक्त नाम की त्रुटि इन्तकाल खोलते वक्त सहवन से होना बताया है। बहस सुने जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, जिनमें नकल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

बंदी मौजा रायती खाता संख्या 61 में दर्ज आराजी संख्या 285 रकबा 0.1130 हैक्टर भूमि में प्रार्थी गोपालकृष्ण के पिता का नाम सीताराम दर्ज होकर हिस्सा 1/9 दर्ज है तथा अन्य सहखातेदारान के नाम भी जमाबंदी में अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा रायती के खाता संख्या 59 में दर्ज आराजी नम्बरान में अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी गोपालकृष्ण के पिता का नाम सीतराम दर्ज होकर उनका हिस्सा 1/3 अंकित किया हुआ है। नकलजमाबंदी मौजा रायती के खाता संख्या 58 मे दर्ज आराजी में प्रार्थी अकेले का ही नाम है जो गोपालकृष्ण के पिता का नाम सीताराम दर्ज है। मौजा रायती की नकल जमाबंदी के खाता संख्या 60 में दर्ज आराजी में अन्य सहखातेदारान के साथ साथ प्रार्थी गोपालकृष्ण के पिता का नाम सीताराम दर्ज होकर हिस्सा 1/9 अंकित है।

इसके अलावा प्रस्तुत आराजी के नक्शाट्रेस की नकल है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा गोविन्दपुरा के खाता संख्या 68, नकल जमाबंदी मौजा गोविन्दपुरा के खाता संख्या 69 एवं मौजा गोविन्दपुरा के ही खाता संख्या 70 में प्रार्थी गोपालकृष्ण के पिता का नाम चुन्नीलाल दर्ज अंकित किया हुआ है। प्रस्तुत आधार कार्ड ,भारत निर्वाचन पहचान पत्र,आयकर विभाग का कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस ,स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की बैंक पासबुक, प्रमाण पत्र अंकतालिका व अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थी गोपालकृष्ण के पिता का नाम चुन्नीलाल अंकित किया हुआ है। इस प्रकार समस्त दस्तावेजी प्रमाण के अनुसार प्रार्थी अपने पिता का नाम प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात में शुद्ध करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा रायती पटवार हल्का रायती की जमाबंदी सम्वत 2078 के खाता सिंख्या 61, 59, 58 एवं 60 में वर्णित पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रार्थी गोपीकृष्ण के पिता का नाम सीताराम धाकड के बजाय जरिये शुद्धिकरण चुन्नीलाल धाकड अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। सहखातेदारान के नाम जमाबंदी अनुसार रहेगें।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला–चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/550 दिनांक :– 12.11.24

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024 व अनवान गोपालकृष्ण बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल आरएक्ट में हुए आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला–चित्तौड़गढ़